| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25/8/22 | पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है बहस प्रा०पत्र T.I. सुनी गई। बहस में वकील उभयपक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। विवादित आराजी खसरा सं. 1284/3 रकबा 5 बीघा का प्रार्थी रिकॉर्ड्स खातेदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित प्रकरणों के अभिकथनों के अनुसार प्रकरण में प्रार्थी रिकॉर्ड्स खातेदार होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। लेकिन बहस में वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि खसरा सं. 1284/1 के पूर्वी भाग में अप्रार्थी को जहां कब्जा संभलाया वहां नक्शे के अनुसार 1284/3, 1284/1 के ठीक पूर्व में नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 7 के अनुसार Cause of action तरमीम गलत होने के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद उचित धाराओं में पेश होना चाहिये। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि विवादित आराजी से होकर एक अन्य प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' RT Act न्यायालय में विचाराधीन है।<br><br>हमने प्रार्थना पत्र [illegible] प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया। प्रथम दृष्टया केस गलत तरमीम का प्रतीत होता है, अतः प्रथम दृष्टया अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। विवादित | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Guriar
Date: 2023.03.20 12:34:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी |
| --- | --- | --- |
| | आराजी पर ही रास्ते के सम्बन्ध में अन्य वाद विचाराधीन होने से सुविधा सन्तुलन भी अप्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे। | |
| | (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:34:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca